तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मि० नं० 270/14 A.S.I. बनाम सरकार

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2017"
केम्प स्थल....खैराबाद....
दिनांक....22/6/17....

पत्रावली पेश हुई। उपस्थित पक्षकार एवं पैरोकार को सुना गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब एवं प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथन, वांछित अनुतोषादि, पैरोकार सरकार के जवाब एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विचार किया गया।

हाल नकल जमाबंदी बाके माल मौजा खैराबाद सम्वत 2051-2054 खाता नम्बर 671 पर ख०नं० 2440/1 रकबा 0.1119 कन्या महाविद्यालय रामगंजमण्डी के नाम पर दर्ज खाता है। उक्त भूमि को परिसे इन्तकाल नम्बर 1621 दि० 21.2.95 को कन्या महाविद्यालय रामगंजमण्डी के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है।

उक्त दोनों दस्तावेज में राजकीय शब्द अंकित नहीं है। हाल कई मिलान तालिका खसरा नम्बर 2440/1 से हाल खसरा नं० 3171, 3172 व 3214 बनाया जाना प्रमाणित है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमंडी जिला कोटा

.............................बनाम.............................

.... नम्बर..................................

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीखें अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
राजस्थान सरकार राजस्व [ग्रुप-3] विभाग के पत्रांक प.2 [314] राज0/ग्रुप-3/94 जयपुर दि0 21.10.94 के द्वारा ख0 नं. 440/1 रकबा 5.11 है0 को A.S.I. कंपनी रा0 मण्डी को बालिका महाविद्यालय की स्थापना हेतु नि:शुल्क आवंटन की गई थी बाद बन्दोबस्त उक्त भूमि के हाल नम्बरों पर राजकीय शब्द अंकित कर दिया है पैरोकार सरकार द्वारा उक्त राजकीय शब्द को हटाये जाने पर कोई ऐतराज नहीं किया है, तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का खेराबाद दि0 30.5.17 में अंकित किया है कि "राजकीय शब्द हटाया जाना उचित होगा" अत: राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानों के तहत प्रकरण वर्णित भूमि पर से "राजकीय" शब्द हटाया जाना उचित प्रतीत होता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अतः सहमति की हद तक प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है, कि ग्राम खेलाबाद की भूमि खसरा नं० 3171, 3172, व 3214 किता 3 रकबा 1.55 हेक्टर पर से "राजकीय" शब्द हटाया जाकर रिकार्ड को दुरुस्त किया जावे। बकाया अंकन यथावत रहेगा।
	पत्रावली बाद तामील तकमील व तामील फैसला मुजार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	निर्णय आज दि० 27/6/17 को राजस्व लोक अदालत केम्प खेलाबाद पर सुनाया।
	(चिन्मयी गोपाल) उ०खं०अ० उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner